मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2017 (फाल्गुन 9, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. बधाई

श्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के जन्मदिन की बधाई

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 186 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 169 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री रामलाल रौतेल, सदस्य ने जिला अनूपपुर में जैतहरी के ग्राम धनपुरी से चटुआ मार्ग के डामरीकरण करने,
(2) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने मकरोनियां में नगर निगम सागर वार्ड-11 कोरेगांव में पेयजल पाइप लाईन का विस्तार न करने,
(3) श्री गोवर्धन उपाध्याय, सदस्य ने जिला राजगढ़ की माचलपुर तहसील में स्थित ऐतिहासिक बावड़ी का पुनर्निर्माण व देखरेख न होने,
(4) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य ने पोहरी विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों, मजरों व टोलों में हैण्डपंप व नलकूपों के सूख जाने से पेयजल संकट होने,
(5) श्री वैलसिंह भूरिया, सदस्य ने धार जिले की नगर पंचायत राजगढ़ में भ्रष्टाचार होने,
(6) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य ने विधान सभा नरसिंहपुर में हरेरी नहर का आवश्यकतानुसार फुटवेयर व पुलिया निर्माण करने,
(7) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य ने सिंगरौली जिले के चितरंगी विधान सभा क्षेत्र के बगदरा हायर सेकेण्ड्री विद्यालय के परीक्षा केन्द्र बनाने तथा
(8) श्री तरूण भनोत, सदस्य ने मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी का विखण्डन कर जबलपुर, इंदौर और भोपाल तीन रीजनल सेंटर बनाये जाने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की गईं.

4. शून्यकाल में उल्लेख

1. माननीय सदस्या को प्रताड़ित करने विषयक

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य एवं श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि – श्रीमती नीलम अभय मिश्रा, माननीय सदस्य को 20 लाख रूपये का जुर्माना जमा करने के बाद भी रीवा जिले के अधिकारियों द्वारा अन्याय व अत्याचार पूर्वक उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. अत: दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर उन्हें न्याय प्रदान करने के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है.

2. गेहूं खरीदी के उपार्जन का काम प्रारम्भ करने विषयक

श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – मध्यप्रदेश शासन ने 28 मार्च, 2017 से गेहूं उपार्जन प्रारम्भ करने का आदेश निकाला है परन्तु मालवा क्षेत्र में एक महीना पहले गेहूं आ जाता है. वहां 8 हजार क्विंटल गेहूं मण्डी में आ चुका है. इसलिए 28 मार्च, 2017 की जगह 10 मार्च, 2017 से कार्य प्रारम्भ किया जाए. इस संबंध में दिये गए ध्यानाकर्षण को ग्राह्य करने का कष्ट करें. अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य को आश्वस्त किया कि हम उसको चर्चा के लिए ले रहे हैं.

3. श्री मान सिंह टेकाम, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय के लापता होने विषयक

श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – श्री मान सिंह टेकाम, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय 2 फरवरी, 2015 से लापता है. उनके परिजन परेशान है. गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह तत्काल उनका पता लगाएं.

4. जल अभावग्रस्त क्षेत्र में परिवहन की व्यवस्था करने विषयक

श्री दिनेश राय, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – कलेक्टर सिवनी द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र को वर्तमान में ही जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दो-दो, तीन-तीन दिन में पानी की व्यवस्था हो रही है. इसलिए सरकार हमारे यहां तत्काल राशि उपलब्ध कराए. ताकि वहां बोरिंग हो सके और जल अभाव क्षेत्र में परिवहन करके पानी की व्यवस्था कराई जा सके.

5. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री शैलेन्द्र पटेल, लाखन सिंह यादव, सदस्यगण ने प्रदेश के अनेक जिलों में ओला-पाला से फसलों की क्षति होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री दिलीप सिंह परिहार, कैलाश चावला, यशपाल सिंह सिसौदिया, ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा, सदस्यगण ने नीमच क्षेत्र में जिला सहकारी बैंक द्वारा कृषकों से फसल बीमा की प्रीमियम राशि निर्धारित दर से अधिक वसूल किये जाने की ओर राज्यमंत्री, सहकारिता का ध्यान आकर्षित किया.

श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, सहकारिता ने वक्तव्य दिया.

6. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री बोध सिंह भगत, सांसद की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) इंजी प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(2) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(3) पं. रमाकान्त तिवारी (जिला-रीवा)
(4) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(5) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(6) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(7) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(8) पं. रमेश दुबे (जिला-छिन्दवाड़ा)
(9) श्री रामपाल सिंह (जिला-शहडोल)
(10) श्री कुंवर जी कोठार (जिला-राजगढ़)
(11) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(12) श्रीमती सरस्वती सिंह (जिला-सिंगरौली)
(13) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(14) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(15) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)

(16) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(17) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(18) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(19) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(20) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(21) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(22) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(23) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(24) श्री वीर सिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(25) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक (जिला-दमोह)
(26) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(27) श्री कुंवर सिंह टेकाम (जिला-सिंगरौली)
(28) श्रीमती ऊषा चौधरी (जिला-सतना)
(29) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(30) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(31) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(32) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(33) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन)

8. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सुश्री उषा ठाकुर, सदस्य द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2017 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर 23 एवं 27 फरवरी, 2017 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(28) श्री के.पी. सिंह

सभापति महोदय (श्री कैलाश चावला) पीठासीन हुए.

(29) श्री दुर्गालाल विजय
(30) श्री सुंदरलाल तिवारी

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(31) पं. रमेश दुबे

9. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आज बोलने वाले सदस्यों के भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.

10. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (चर्चा का पुनर्ग्रहण) (क्रमशः)

(32) श्री बाला बच्चन
(33) श्रीमती उषा चौधरी (भाषण पूर्ण)

(चर्चा जारी)

अपराह्न 1.59 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 1 मार्च, 2017 (10 फाल्गुन, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 28 फरवरी, 2017